उपस्थित –

प्रार्थी की ओर से – अधिवक्ता श्री अमरसिंह भाटी।

अप्रार्थी की ओर से– सरकारी पैरोकार।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम</u>

<u>–::निर्णय::–</u>

दिनांकः–27/1/21

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 758/1 रकबा 3.4803 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 824 रकबा 2.5900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 888/1 रकबा 1.4569 हैक्टेयर ग्राम जसनाथपुरा व खसरा नम्बर 1268 रकबा 1.2464 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1403 रकबा 3.0351 हैक्टेयर ग्राम थोब तहसील ओसियां की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम लखपतसिंह पुत्र मोतीसिंह दर्ज है। लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम अशोकसिंह है। उपरोक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों की भूलवश लखपतसिंह पुत्र मोतीसिंह दर्ज कर दिया जो गलत है। प्रार्थी के तमाम दस्तावेज, आधार कार्ड, राशन कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज इत्यादि में अशोकसिंह दर्ज है। ग्राम पंचायत थोब द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी का सही नाम अशोकसिंह पुत्र मोतीसिंह दर्ज है। उक्त राजस्व रेकर्ड में त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई है जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा ग्राम थोब की जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम से पहले नाबालिग दर्ज है जबकि वर्तमान में प्रार्थी बालिग है। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम की त्रुटि सुधारने बाबत् हल्का पटवारी व तहसीलदार ओसियां को निवेदन किया लेकिन उन्होंने त्रुटि सुधारने से मना कर दिया तथा त्रुटि सुधारने बाबत् उपखण्ड अधिकारी ओसियां से आदेश लेने हेतु कहा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी

की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 758/1 रकबा 3.4803 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 824 रकबा 2.5900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 888/1 रकबा 1.4569 हैक्टेयर ग्राम जसनाथपुरा व खसरा नम्बर 1268 रकबा 1.2464 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1403 रकबा 3.0351 हैक्टेयर ग्राम थोब तहसील ओसियां के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम लखपतसिंह पुत्र मोतीसिंह दर्ज है इसके स्थान पर वास्तविक नाम अशोकसिंह पुत्र मोतीसिंह दर्ज किया जाकर ग्राम थोब की जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम से पहले दर्ज नाबालिग हटाया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया कि लखपतसिंह व अशोकसिंह प्रार्थी के ही नाम है, जो बालिग है तथा राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम लखपतसिंह के स्थान पर अशोकसिंह दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई।

यह है कि बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम अशोकसिंह है तथा प्रार्थी वर्तमान में बालिग है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 758/1 रकबा 3.4803 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 824 रकबा 2.5900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 888/1 रकबा 1.4569 हैक्टेयर ग्राम जसनाथपुरा व खसरा नम्बर 1268 रकबा 1.2464 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1403 रकबा 3.0351 हैक्टेयर ग्राम थोब तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में का नाम लखपतसिंह पुत्र मोतीसिंह के स्थान पर वास्तविक नाम अशोकसिंह पुत्र मोतीसिंह दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरस्त किये जाने तथा प्रार्थी के नाम से पहले दर्ज नाबालिग हटाये जाने का आदेश दिया जाता है तथा पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 27/1/21 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner